राजस्थान सरकार
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग

समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों के संस्था प्रधान कृपया, ध्यान दे:—

राज्य के समस्त विद्यालयों के संस्थाप्रधानों को यू—डाइस डीसीएफ अनिवार्यतः भरने हेतु सूचना:—

स्कूल शिक्षा के बेहतर शैक्षिक नियोजन के लिए भारत सरकार एवं राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा), नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2012—13 से जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डाइस) एवं सैकेण्डरी एजुकेशन मैनेजमेन्ट इनफारमेशन सिस्टम (सेमिस) को एक ही कार्यक्रम में शामिल कर एकीकृत डाइस (यू—डाइस) के रूप में संचालित किया जा रहा है। अतः राजस्थान राज्य में स्थित सभी प्रकार के विद्यालय चाहे वे किसी भी प्रबंधन द्वारा संचालित हो अथवा किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त हो के संस्था प्रधान कृपया ध्यान दे कि **आधार तिथि 30 सितम्बर 2012** के अनुसार अपने विद्यालय रिकार्ड से डीसीएफ (डेटा कैप्चर फॉरमेट) भरकर संबंधित अधिकारियों के पास अनिवार्यतः जमा करवाना है।

1. **डेटा कैप्चर फॉरमेट (डीसीएफ) किन विद्यालयों को भरना है:—**
   यह फॉरमेट राजस्थान राज्य में स्थित सभी प्रकार के सरकारी, निजी, मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, सैनिक विद्यालय, संस्कृत शिक्षा विद्यालय, मदरसा, शिक्षा कर्मी, श्रम बाल विद्यालय जनजाति क्षेत्र के आवासीय विद्यालय/समाज कल्याण विभाग इत्यादि द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय जिनमें कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाऐं संचालित हो, चाहे वे किसी भी प्रबंधन द्वारा संचालित हो रही है या किसी भी बोर्ड (यथा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आई.बी या अन्य कोई समकक्ष बोर्ड) से मान्यता प्राप्त हो द्वारा डीसीएफ भरना अनिवार्य है।

2- डेटा कैप्चर फॉरमेट नहीं भरने पर क्या हो सकता हैं:—

- आपका विद्यालय सर्व शिक्षा अभियान/आर.एम.एस.ए के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की सहायता से वंचित रह सकता है।
- राजकीय विद्यालय के संस्था प्रधानों के विरूद्व विभागीय कार्यवाही की जा सकती है।
- निजी विद्यालयों की मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
- राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 लागू हो चुका है। अतः निजी स्कूलों की मान्यता के आवेदन पत्र में यू—डाइस कोड अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
- माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा में आवेदन हेतु यू—डाइस कोड अनिवार्य होगा।

3. **डेटा कैप्चर फॉरमेट कहॉ से प्राप्त करें एवं जमा करावें:—**
   डेटा कैप्चर फॉरमेट का प्रारूप दो प्रतियों में (विद्यालय एवं कम्प्यूटर प्रति) नोडल प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य / बीईईओ / एडीपीसी (एस.एस.ए) कार्यालय से प्राप्त कर डेटा कैप्चर फॉरमेट को भरकर सम्बन्धित नोडल विद्यालय में जमा करावें।

4. **डेटा कैप्चर फॉरमेट जमा करवाना क्यों आवश्यक है:—**
   डेटा कैप्चर फॉरमेट में आपके द्वारा भरी सूचना के आधार पर तैयार डेटा बेस पर भारत सरकार द्वारा शिक्षा संबंधी योजनाऐं यथा एसएसए, आरएमएसए, शिक्षक शिक्षा / नियोजन आदि अनुमोदित की जाती है तथा राज्य में सभी राजकीय एवं निजी विद्यालयों से सम्बन्धित योजनाऐं यथा विद्यालय विकास योजना, ब्लॉक शिक्षा योजना, जिला शिक्षा योजना एवं राज्य शिक्षा योजना बनाई जायेगी एवं विभिन्न शैक्षिक सूचकांकों (Indicators) की गणना की जायेगी।

5. **डेटा कैप्चर फॉरमेट भरने हेतु सहायता कहॉ से प्राप्त करें:—**
   अपने नजदीकी नॉडल विद्यालय के संस्था प्रधान (प्रारम्भिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा) / बीईईओ / आर.पी / एपीसी (एस.एस.ए) / एडीपीसी (आर.एम.एस.ए) कार्यालय

सम्पर्क सूत्र यू—डाइस शाखा राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर:— 0141—2705483

प्रमुख शासन सचिव,
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर